



कार्यालय प्राचार्य

नवीन शासकीय महाविद्यालय माकड़ी

जिला-कोण्डागाँव (छ.ग.)

E-mail id: gncmakdi@gmail.com

Website: govtcollegemakdi.com

क्रमांक / 193 /स्था./2026

माकड़ी, दिनांक - 19/09/2026

//सत्र 2026-27 अंतर्गत अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक हेतु विस्तृत विज्ञापन//

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक 289/01/आउशि/राज. स्था/2025, नवा रायपुर दिनांक 23.07.2025 एवं छ.ग शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक ESTB/1027/1216/2025/38-1, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18.08.2026 एवं पत्र क्रमांक ESTB/23066/2026-O/O ADDITIONAL DIRECTOR, नवा रायपुर, दिनांक 17.07.2026 के निर्देशानुसार अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथा संशोधित 2026) के अंतर्गत महाविद्यालय में रिक्त सहायक प्राध्यापक पद के विरुद्ध विषय वाणिज्य- 01 पद, में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदक समस्त प्रमाण-पत्रों एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन दिनांक- 26.09.2026 को सायं 05:30 बजे तक कार्यालयीन समय में रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता:-

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीडा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

2. आयु सीमा :- अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक ।

3. छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता (Guest Lecturer) भर्ती नियमों के अनुसार, यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी (Category) के दो अभ्यर्थियों के अंक समान (Tie) होते हैं, तो राज्य के मूल निवासी को वरीयता दी जाएगी।

विषय / पद का विवरण: -

क्र.	विषय	संख्या
1.	वाणिज्य	01

टीप :- संबंधित विषय में नवीन नियुक्ति / नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्त :-

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल./ पी-एच.डी. तथा अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
02. दिनांक- 26/09/2026 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
04. प्राप्त आवेदनों की अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक- 26/09/2026 को महाविद्यालय के सूचना पटल एवं वेबसाइट में विस्तृत जानकारी प्रकाशित किया जायेगा।
05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि- 29/09/2026 तक होगी।
06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक- 30/09/2026 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाइट तथा महाविद्यालय के सूचना पटल में किया जायेगा।
07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस / न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में शिकायत / कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।
08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. मानदेय:- अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होना प्रस्तावित हैं:- अतिथि व्याख्याता मानदेय 2000/- प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 50,000/-) अतिथि शिक्षण सहायक 1400/- प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 35,000/-)
11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय माकड़ी, जिला- कोंडागांव (छ.ग.) पिन नं. 494237 एवं आवेदित विषय / पद आवश्यक रूप से लिखे।

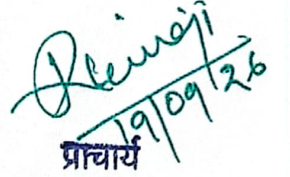
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।

13. संस्थान के इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।

16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।


19/09/26

प्राचार्य

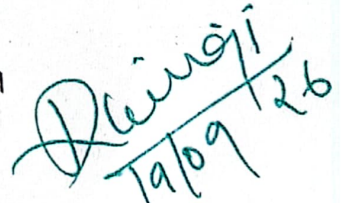
for नवीन शास. महाविद्यालय माकड़ी
जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)
नवीन शासकीय महाविद्यालय माकड़ी
जिला- कोण्डागांव (छ.ग.)

क्रमांक / 194 / स्था. / 2026

माकड़ी, दिनांक 19/09/2026

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. को सादर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य अग्रणी, गुण्डाधुर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोण्डागांव (छ.ग.) को सूचनार्थ।


19/09/26

प्राचार्य

for नवीन शास. महाविद्यालय माकड़ी
जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

नवीन शासकीय महाविद्यालय माकड़ी
जिला- कोण्डागांव (छ.ग.)